



कार्यालय: जिला मलेरिया पदाधिकारी, रामगढ़



Email Id - ramgarh.dmo@gmail.com

अल्पकालीन निविदा

रामगढ़ जिलांतर्गत सभी सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 एवं एच0ए0सी0 के लिए मलेरिया रोधी दवा क्रय हेतु ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित निर्माताओं या उनके अधिकृत आपूर्ति करता/एजेन्सी से अल्पकालीन निविदा दिनांक 10.03.2016 के अपराह्न 5:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार्य नहीं होगा। प्राप्त निविदाओं को जिला क्रय समिति रामगढ़ के समक्ष सिविल सर्जन, कार्यालय रामगढ़ (छतर माण्डू) में दिनांक 12.03.2016 पूर्वाह्न 11:00 बजे खोला जाएगा। निविदा की विवरणी सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। एवं www.ramgarh.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा में निम्नलिखित तथ्य एवं नियम के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

Com 07/04/2016

जिला मलेरिया पदाधिकारी,
रामगढ़।
27/03/16

नियम शर्त:-

1. इच्छुक निविदा दाता अपना निविदा निबंधित डाक द्वारा/हाथो-हाथ मोहर बंद लिफाफा में दिनांक 10.03.2016 अपराह्न 5:00 बजे जिला मलेरिया पदाधिकारी, रामगढ़ कार्यालय के नाम से डाल सकते हैं।
2. निविदा दाता वही हो सकते हैं जो स्वयं निर्माता हो या उनके प्राधिकृत विक्रेता (प्रमाण के साथ)
3. वैसे निविदा दाता को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें राज्य/केन्द्र सरकार में आपूर्ति का अनुभव प्राप्त हो।
4. प्राप्त निविदा को दिनांक 12.03.2016 पूवाह्न 11:00 बजे सिविल सर्जन कार्यालय रामगढ़ (छतर माण्डू) में निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जाएगा। निविदा वित्तिय एवं तकनीकी भाग अलग-अलग जमा करेंगे।
5. निविदा के साथ 10000/- का अग्रधन बैंक ड्राफ्ट जो District Health Society NVBDCP रामगढ़ के नाम से भुगतये हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनुमोदित दर पर L-01 वाले कंपनी/एजेन्सी/प्रतिष्ठित निर्माताओं को सामग्री आपूर्ति आदेश निर्गत करने के आलोक में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में संबंधित फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी एवं अग्रधन राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
7. निविदा से संबंधित किसी प्रकार का विवाद का न्यायिक क्षेत्र रामगढ़ होगा।
8. संबंधित निविदा दाता को अघतन आयकर/बिक्रीकर/स्वच्छता प्रमाण पत्र संस्था, काली सूची में नहीं है, का शपथ प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी निविदा दाता का निविदा रद्द करने की शक्ति समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
10. आपूर्ति की गई दवा का गुणवक्ता निम्न स्तर का पाये जाने पर आपूर्ति कर्ता के द्वारा अपने खर्च पर आपूर्ति की प्रतिस्थापन (replacment) मानक गुणवक्ता वाला दावा की आपूर्ति करनी होगी। या जरूरत के अनुसार उसे बदलना होगा।
11. निविदा डालने वाले फर्म का निबंधन संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. जिस दवा की निर्माण की तिथि से तिथिवाद की तिथि 03 वर्ष का होगा। वैसे दवा तिथिवाद की तिथि आपूर्ति के समय 2 वर्ष वर्ष 6 माह रहने के पश्चात् की आपूर्ति स्वीकार की जाएगी।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर दवादि की आपूर्ति निर्दिष्ट स्वास्थ्य संस्थान में करनी होगी। जिसमें अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
14. आपूर्ति की जाने वाली दवा में Not for Sale एवं Govt. Supply अंकित होना चाहिए।
15. आपूर्ति की जाने वाली दवा की सूची निम्नांकित है।

Sl.	Items
01	Chloroquine phosphate tab
02	Prtimaquine tab 2.5 mg
03	Prtimaquine tab 7.5 mg
04	Quinine sulphate tab
05	Quinine injection
06	Artisunate inj
07	Dengu NS1 antigen kit
08	Temephos,Bti(AS)/Bti (Wp) (For Polluted & non polluted water)
09	Pyrethrum extract 2 % for spare spray
10	Act (0-1)
11	Act (1-4)
12	Act (5-8)
13	Act (9-14)
14	Act (Adult) 15+

जिला मलेरिया पदाधिकारी,

रामगढ़।

22/3/16